

(97)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. 2/7/2020/एस-1/97

दिनांक 26.04.2020

आदेश

दिनांक 15.4.2020 के आदेश सं. 2/07/2020/एस-1/53 के अनुक्रम में तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा दिल्ली के सभी विभागों /स्वायत्त निकायों/स्थानीय अधिकारियों द्वारा कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन का आदेश दिया गया है

आशोधन

उप-खंड 1 (x) में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शब्दों को "नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर मार्केट कॉम्प्लेक्स" के साथ बदल दिया जाता है :

समावेश

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिये खंड 14 के तहत उप-खंड 9(xiii) और (xiv) :

- (xiii) दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें, जिनमें आवासीय कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें शामिल हैं, जिनमें मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानों को छोड़कर, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर श्रमिकों के 50प्रतिशत संख्याबल के साथ मास्क पहनना और सामाजिक दूरी अनिवार्य है।
- (xiv) दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें जिसमें पड़ोस की दुकानें और स्टैंडअलोन की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर, बाजार परिसरों और मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल में दुकानों को छोड़कर, श्रमिकों के 50प्रतिशत संख्याबल के साथ मास्क पहनना और सामाजिक दूरी अनिवार्य है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 24.4.2020 के अनुसरण में, अक्षरशः पालन के साथ उक्त गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि सामाजिक दूरी और अन्य निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन हो। कन्टेन्टमन्ट जोनों में ये छूट नहीं दी जायेगी और इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्धारित एसओपी के अनुसार कड़ाई से विनियमित किया जाएगा।

जिला पुलिस उपायुक्त इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इस आदेश को दिल्ली में जमीनी स्तर पर बिना विफलता के कड़ाई से अनुपालन हेतु सभी क्षेत्र के पदाधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे, जबकि यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 रोग का नियंत्रण ही जिला प्रशासन का मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

उपरोक्त गतिविधियों को आदेश संख्या 2/07/2020/एस-1/64 दिनांक 19.4.2020 के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
4. प्रधान सचिव (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
5. आयुक्त (दक्षिण/पूर्व/उत्तर, दिल्ली नगर निगम)।
6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
8. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. प्रधान सचिव (राजस्व)-सह - मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
13. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. 2/7/2020/एस-1/100

दिनांक 26.04.2020

शुद्धिपत्र

आदेश संख्या फा0 2/07/2020/एस-1/97 दिनांक 26.4.2020, डीडीएमए के अंत से पहले पैराग्राफ में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया गया है:

‘जिला पुलिस उपायुक्तों’ को ‘जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

आदेश की शेष सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
4. प्रधान सचिव (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
5. आयुक्त (दक्षिण/पूर्व/उत्तर, दिल्ली नगर निगम)।
6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
8. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. प्रधान सचिव (राजस्व)-सह - मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

10. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
13. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल